रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1—अगस्त 7, 2009 (श्रावण 10, 1931)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1—AUGUST 7, 2009 (SRAVANA 10, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 889

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 687

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 71

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1287

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं........ *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)....... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2695

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 4087

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 239

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 889

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 687

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...... 71

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.................... 1287

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations............................ *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.................... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................ *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................ *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2695

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.................... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners......................... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies....................... 4087

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 239

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.................................. *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. 91-प्रेज/2009--राष्ट्रपति सहर्ष निर्देश देती हैं कि दिनांक 19 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या 41-प्रेज/75 के अन्तर्गत 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक और अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करने के संबंध के नियमों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :--

वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक

वर्तमान नियम 5 के उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

इस वीरता पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ता, उनके रैंक का ध्यान रखे बिना एक समान दर पर नकद भत्ता पाने के हकदार होंगे। पदक और पदक के बार के लिए नकद भत्ते की दर 1500/- रु. (रुपये एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह होगी।

वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक

वर्तमान नियम 5 के उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

जब वीरता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तो राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन पदक और पदक की बार के साथ पदक प्राप्तकर्ता के रैंक को ध्यान में रखे बिना, 900/- रु. (रुपये नौ सौ) प्रतिमाह की एक समान दर से मौद्रिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। उस पर आने वाला खर्च केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और उन संबद्ध संगठनों, जिनकी अग्नि शमन सेवा से कार्मिक संबंधित होते हैं, के राजस्व द्वारा वहन किया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

संकल्प

सं. I/20017/01/2004-रा.भा. (नीति-1)--भारत सरकार के दिनांक 29.01.2009 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में केन्द्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल दिनांक 01.07.2009 से एक माह के लिए यथा 31.07.2009 तक अथवा केन्द्रीय हिंदी समिति के पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

डी. के. पाण्डेय
संयुक्त सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2009

संकल्प

सं. क्यू/हिंदी/621/49/2009--विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार योजना एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है।

1. **योजना का नाम**

इस योजना का नाम ' **कौटिल्य पुरस्कार** ' योजना होगा ।

2. **योजना का उद्देश्य**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है । इस प्रयोजन के लिए विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की सांकेतिक सूची अनुबंध-I में दी गई है ।

3. **योजना अवधि**

किसी वर्ष विशेष के लिए घोषित किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान प्रकाशित पुस्तकों अथवा पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा ।

4. **पुरस्कार का विवरण**

इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार होंगे:-

(क)	सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक पत्र	: 1,00,000/- रुपए नकद और प्रशस्ति
(ख)	द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक पत्र	: 60,000/. रुपए नकद और प्रशस्ति
(ग)	तृतीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक पत्र	: 40,000/. रुपए नकद और प्रशस्ति

5. **पुरस्कार प्रायोजक**

विदेश मंत्रालय इन पुरस्कारों को प्रायोजित करेगा तथा वित्तीय दायित्व वहन करेगा ।

6. **पात्रता**

(i) इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित प्रत्येक भारतीय नागरिक भाग लेने के पात्र होंगे । इस योजना में मूल्यांकन समिति और पुरस्कार समिति के सदस्यों को छोड़कर विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र होंगे ।

(ii) इस योजना के तहत विदेश मंत्रालय व भारत की विदेश नीति व संबंधित विषयों पर लिखी पुस्तकें/शोध-पत्र, पांडुलिपियां ही स्वीकार की जाएंगी । कथा साहित्य पुस्तकें इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(iii) पुस्तक/पांडुलिपि (सिंगल स्पेस में टंकित) का मुख्य भाग अनुबंधों, परिशिष्टों, अन्य संलग्नकों को छोड़कर , कम से कम 100 पृष्ठ (लगभग 30,000 शब्दों) का होना चाहिए ।

(iv) किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शासकीय हैसियत या शासकीय कामकाज के रूप में लिखी कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(v) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों की वित्तीय सहायता से लिखी गई अथवा प्रकाशित पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(vi) इस योजना में पुरस्कार के लिए केवल मौलिक पुस्तकों पर विचार किया जाएगा और अनूदित रचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया

(i) लेखक/लेखिका को विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि फार्म (अनुबंध-II के रूप में संलग्न) भेजना होगा ।

(ii) लेखक/ लेखिका को अपनी प्रविष्टि फार्म के साथ पांडुलिपि/ पुस्तक की पांच प्रतियों के साथ - साथ पांच प्रतियों में इसका संक्षिप्त सार भी भेजना होगा ।

(iii) इस योजना के तहत प्राप्त पांडुलिपियां/ पुस्तकें लौटाई नहीं जाएंगी।

(iv) कोई भी लेखक/ लेखिका इस योजना की अवधि विशेष की योजना के लिए एक ही प्रविष्टि भेज सकता/ सकती है ।

(v) प्रविष्टि, विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले इस विभाग में पहुंच जानी चाहिए ।

8. मूल्याकंन समिति

(क) इस योजना के अतर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की जांच करने और पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी, जिसमें तीन ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को सहयोजित किया जाएगा, जिनकी हिंदी भाषा और साहित्य में विशेषज्ञता हो ।

(ख) इस योजना के अधीन प्राप्त प्रविष्टियां मूल्यांकन समिति के सदस्यों को भेजी जाएंगी जो अपनी टिप्पणी और विचार एक माह के भीतर मंत्रालय को भेजेंगे। मूल्यांकन समिति से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की पुरस्कार समिति द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कारों का निर्णय लिया जायेगा।

(ग) मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्य, मूल्यांकन कार्य के लिए 5000/.रुपए प्रति सदस्य की दर से मानदेय के हकदार होंगे। इस संबंध में यदि कोई बैठक आयोजित करनी आवश्यक हुई तो ये सदस्य, नियमों के अंतर्गत अन्य स्वीकार्य भत्तों के भी हकदार होंगे।

9. पुरस्कार समिति

मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के लिए पुरस्कार समिति गठित की जाएगी जिसमें तीन सरकारी सदस्य सहयोजित किए जाएंगे।

10. सामान्य शर्तें

योजना के प्रतिभागियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा और वे इससे शासित होंगे :-

(1) रोजगार समाचार (हिंदी संस्करण) सहित प्रमुख समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी।

(2) इस योजना के अधीन निर्धारित योजना अवधि के दौरान लिखी/ प्रकाशित पुस्तकें शोध-पत्र और टंकित पांडुलिपियां ही स्वीकार की जाएंगी।

(3) यह मंत्रालय पुस्तकों/शोध-पत्रों/पांडुलिपियों के डाक में खो जाने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(4) नियत तारीख के बाद प्राप्त पुस्तकों/शोध-पत्रों/पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) लेखक/ लेखकों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि यह पुस्तक उसकी/उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है। पुरस्कार प्राप्त होने के बाद भी पुस्तकों/शोध-पत्रों/पांडुलिपियों पर लेखकों का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।

(6) प्रविष्टि किसी अन्य भाषा में पहले से लिखी या प्रकाशित पुस्तक का उसी लेखक द्वारा हिंदी अनुवाद नहीं होना चाहिए।

(7) ऐसी पुस्तक/शोध-पत्र/पाण्डुलिपि, जिसे पहले सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) यदि पुस्तक/शोध-पत्र/पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर बाँट दी जाएगी ।

(9) यदि पुस्तक/शोध-पत्र/पांडुलिपि किसी भी पुरस्कार के लिए अपेक्षित स्तर की नहीं पायी जाती है तो मूल्यांकन, समिति यदि ठीक समझे तो, उस पुस्तक/शोध-पत्र/पांडुलिपि के लिए किसी धनराशि (न्यूनतम पुरस्कार से कम) का सांत्वना पुरस्कार देने की सिफारिश कर सकती है।

(10) पुरस्कार के लिए किसी पुस्तक/शोध-पत्र/पांडुलिपि को चुने जाने के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(11) पुरस्कार एक समारोह अथवा किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे, जिसके बारे में पुरस्कार विजेताओं को विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाएगा ।

(12) दिल्ली से बाहर के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए आने जाने का निकटतम रेलवे स्टेशन से रेल का द्वितीय श्रेणी अथवा बस, जैसा भी मामला हो, का किराया दिया जाएगा ।

(13) विदेश मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और इसकी चयन प्रक्रिया के संबंध में अनन्य अधिकार होगा ।

(14) एक बार भेजी गई प्रविष्टि यदि किसी अन्य वर्ष के लिए दुबारा भेजी जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(15) पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा और इस निर्णय के विरुद्ध प्राधिकारी से कोई अनुरोध या अपील नहीं की जा सकेगी ।

(16) किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने पर पुरस्कार पर विचार न करने का अधिकार मंत्रालय का होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सभा सचिवालय भारत के सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

राजीव मिश्र
संयुक्त सचिव

अनुबंध-।

विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की सांकेतिक सूची

1. भारत का सांस्कृतिक राजनय
2. भारत की मध्यपूर्व नीति
3. गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता
4. एक ध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका
5. ग्लोबल विलेज की संकल्पना
6. धार्मिक कट्टरवाद और आधुनिक विश्व
7. भारत की पारंपरिक विदेश नीति
8. भारत के पड़ोसी देश
9. दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत
10. पूर्वी एशिया
11. यूरेशिया
12. खाड़ी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका
13. अफ्रीका
14. यूरोप
15. अमरीका
16. संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन
17. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध
18. विदेश प्रचार

****

विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिख पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ।

प्रविष्टि प्रपत्र

1. लेखक/लेखकों का पूरा नाम :
....
2. पिता/पति का नाम :
....
3. वर्तमान डाक पता :
....

....

....

....

4 . पुस्तक/पांडुलिपि का शीर्षक :

....

....

5. प्रकाशित पुस्तक का प्रकाशन वर्ष

6. क्या आपने सलंग्न घोषणा प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किए हैं ?

7. क्या पुस्तक/टंकित पांडुलिपि की पांच प्रतियां सलंग्न हैं?
(भेजी गई प्रतियां लौटाई नहीं जाएंगी)

8. क्या पुस्तक/पांडुलिपि का सारांश संलग्न है ?

9. मैं/और हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि

I) मैं/ हम भारतीय नागरिक हूं/हैं ।

II) यह पुस्तक मैंने/हमने मूल रूप से हिन्दी में लिखी है ।

III) इस योजना में मेरी/या हमारी पुस्तक को शामिल करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपी राइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने की योजना के प्रावधानों और विनियमनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं ।

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

....

स्थानः

दिनांकः

टिप्पणीः 1) इस प्रपत्र को विधिवत भरकर पुस्तक/पांडुलिपि की पांच प्रतियों के साथ परिपत्र/विज्ञापन में दिए गए पते पर भेजें ।

2) लेखक/लेखिका द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुस्तक का सार भी पांच प्रतियों में संलग्न किया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. एफ.9-5/2006-यू. 3 (ए)--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर ''सम-विश्वविद्यालय'' घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है, से फरवरी, 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इसे (नई श्रेणी के तहत) सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2009 के पत्र संख्या 6-2/2006 (सीपीपी-I) के जरिए केन्द्र सरकार को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान, जबलपुर को पाँच वर्षों के लिए वर्ष 2005-06 से वार्षिक समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से नई श्रेणी के तहत 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था के रूप में घोषित करने की सिफ़ारिश की है;

4. अब, इसलिए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम), जो इस समय राजकीय इंजीनियरी कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश के आई.टी. भवन में वर्तमान स्थान पर अपने अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है, उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ अकादमिक वर्ष 2005-06 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नई श्रेणी के अधीन 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था होगा :

(i) उपर्युक्त उद्घोषणा में जुलाई, 2005 से पहले से ही पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. द्वारा शुरू किए गए अकादमिक पाठ्यक्रमों और उन विद्यार्थियों जो अकादमिक वर्ष 2005-2006 तथा इसके बाद में दाखिल किए गए हैं, को शामिल किया जाएगा;

(ii) पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. यथाशीघ्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर में आबंटित की गई जमीन पर अपने स्वयं के परिसर के विकास के चरणों को पूरा करेगा। यह अपने नए परिसर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम-विश्वविद्यालयों से संबंधित दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त अवसंरचना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा और उन्हें बनाए रखेगा;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पाँच वर्षों के लिए वार्षिक रूप से पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगा। पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. को 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित करने की उद्घोषणा की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा इनके संबंध में आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी;

(iv) पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से तथा इस मंत्रालय की सहमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए संगम ज्ञापन/नियमों में की गई 'मॉडल' व्यवस्था के अनुसार अपने संगम ज्ञापन और नियमों को संशोधित और आशोधित करेगा। इस उद्देश्यार्थ यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट सुझावों/की गई सिफारिशों को एक रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपनी संबंधित जांच रिपोर्ट में शामिल करेगा। रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और डीन की नियुक्ति, शक्तियों तथा कर्तव्यों को भी संगम ज्ञापन/नियमों में विशेष रूप से परिभाषित किया जाएगा। संगम ज्ञापन/नियमों में भी इस संस्था के इसी नाम अर्थात पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान का ही उल्लेख किया जाएगा।

(v) पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. ऐसी कोई डिग्री प्रदान नहीं करेगा/उसका प्रस्ताव नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विनिर्दिष्ट न हो। इस उद्देश्यार्थ आयोग- यह सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों इत्यादि की नाम पद्धति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट हो। तद्नुसार पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से अपने एम. डिजाइन (डिजाइन-निष्णात) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत शामिल कराने के तत्काल उपाय करेगा।

(vi) पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट में अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों से संबंधित पहलुओं, कोर पाठ्यक्रमों की संख्या में कमी और अधिक वैकल्पिक विषयों के निर्धारण, पाठ्यक्रम विषय-वस्तु, संस्थान की पाठ्यचर्या तथा इसके संशोधन के बारे में दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा ताकि संस्तुत सुधार लाने के लिए समिति द्वारा महसूस की गई कमियों/खामियों को तत्काल दूर किया जा सके।

(vii) पी.डी.पी.एम.-आई.आई.आई.टी.डी.एम. यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान में शिक्षा के अनुरक्षित मानक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों से उच्च स्तर के हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना के कम संख्या 4 पर उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करने/अनुपालन करने की शर्त के अधीन है।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th July 2009

No. 91–Pres/2009 – The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Fire Service Medal and Fire Service Medal published in Part-I, Section-1of the Gazette of India of 31st May, 1975 vide Notification No. 41-Pres/75 dated 19th May, 1975, with immediate effect:-

PRESIDENT'S FIRE SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY

For the existing sub-rule (a) of Rule (5), substitute the following:-

"All the recipients of this gallantry award shall be entitled to monetary allowance at uniform rates, irrespective of their ranks. The rate of monetary allowance for the Medal as also for the Bar to the Medal shall be Rs. 1500/- (Rs. one thousand five hundred) per mensem".

FIRE SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY

For existing sub-rule (a) of Rule (5), substitute the following:

"When awarded for gallantry, the Medal as also the Bar to the Medal shall, subject to the conditions set forth for the President's Fire Service Medal for Gallantry, carry monetary allowance at a uniform rate of Rs. 900/- (Rs. nine hundred) per mensem irrespective of the rank of the recipient. The charges thereof shall be borne by the revenues of the Central Ministries/States/Union Territories and by the respective organizations in respect of personnel belonging to their Fire Services".

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 15th July 2009

RESOLUTION

No. I/20017/01/2004-O.L. (Policy-1)—In continuation of Government of India's Resolution of even No. dated 29.01.2009, the term of Kendriya Hindi Samiti is extended for one month i.e. from 01.07.2009 to 31.07.2009 or up to the date of reconstitution of Kendriya Hindi Samiti, whichever is earlier..

D. K. PANDEY
Jt. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 13th July 2009

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/49/2009—The following Award Scheme for writing original books in Hindi on subjects pertaining to the Ministry of External Affairs is hereby published for general information.

1. TITLE OF THE SCHEME

The Scheme may be called **'Kautilya Award'** yojana.

2. OBJECT OF THE SCHEME

The main objective of the scheme is to encourage authors to write books originally in Hindi on subjects relating to the Ministry of External Affairs. For this purpose and indicative list of subjects pertaining to the Ministry of External Affairs is given at Annexure-I.

3. PERIOD OF THE SCHEME

For the awards to be pronounced for any particular year, books/treaties published or manuscripts prepared during the preceding 2 years of the last date given in advertisement shall be considered.

4. AMOUNT OF THE AWARDS

The following amount will be given under the scheme:

(a) First Prize	:	Rs. 1,00,000/- in cash and felicitation.
(b) Second Prize	:	Rs. 60,000/- in cash and felicitation.
(c) Third Prize	:	Rs. 40,000/- in cash and felicitation.

5. SPONSORSHIP OF THE AWARDS

These awards shall be sponsored and financially supported by the Ministry of External Affairs.

6. ELIGIBILITY

(i) Every Indian citizen, including officers/employees of Government of India/ State Governments/UTs, shall be eligible to participate in the Scheme. The employees/officers of the Ministry of External Affairs excluding the Members of Evaluation Committee and Award Committee shall also be eligible to participate in the Scheme.

(ii) Only books/treaties/manuscripts written on the subjects falling within the purview of Ministry of External Affairs will be accepted under the Scheme. Work of fiction shall not be eligible for any award under the scheme.

(iii) The main part of the book/treaties/manuscript (typed in single space) must run into a minimum 100 pages (30,000 words approximately) excluding the annexure, appendix and other attachments.

(iv) Any book authored by any Government servant in his official capacity or as a part of his official duty shall not be eligible for the award.

(v) Any book authored by or published by or with the financial aid of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations or any Public Sector Undertaking or Autonomous body of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations shall not be eligible for the Award.

(vi) Only original books and not translation shall be eligible for the Award.

7. PROCUDURE FOR SUBMISSION OF THE ENTRIES

I. The author shall submit the entry form dully filled in (Annexure –II).

II. The author shall submit his/her entry form with 5 copies of the book/manuscript alongwith five copies of short summary.

III. The books/manuscripts received under this Award Scheme shall not be returned.

IV. An author may send only one entry under a particular period of the scheme.

V. The entries should reach on or before the last date indicated in the advertisement.

VI. The author honored for the year cannot participate in the scheme for next one year.

8. EVALUATION COMMITTEE

a. An Evaluation Committee shall be constituted under the scheme to examine the entries and to recommend the awards. Three Non-Official Members as experts on the subject having knowledge of Hindi will be co-opted in the Evaluation Committee.

b. The entries received under the scheme shall be sent to the members of Evaluation Committee who will submit their views and comments to the Ministry within one month. The Award Committee of the Ministry shall decide First, Second and Third prize after considering the recommendations submitted by the Evaluation Committee.

c. Non-Official Members of the Evaluation Committee shall be entitled for honorarium at the rate of Rs. 5000/- per entry. They shall also be eligible for other allowances for attending the meetings, if necessary, as admissible under the rules.

9. AWARD COMMITTEE

An Award Committee will be constituted for taking decision on the recommendations of the Evaluations Committee. The Award Committee will consist of three officials.

10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The participants of the scheme shall abide by and shall be governed by the following terms and conditions:-

1. The entries shall be invited from the authors through open advertisements in leading Newspapers/Journal including the Employment News.

2. Manuscripts (typed)/Books written/treatise published during the prescribed period in which the scheme is in force shall only be accepted for consideration.

3. Ministry will not be responsible for late receipt or loss in transit of books/treatise/manuscripts.

4. Books/treatise/Manuscripts received after the due date shall not be considered.

5. Author shall furnish a certificate to the effect that the work is his original and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act(As amended from time to time) 1997. The authors shall continue to have the copyright of their books/treatise/manuscripts even after the receipt of awards.

6. The book/treatise/Manuscript shall not be the Hindi version of a book already written or published in any other language by the same author.

7. A book/treatise/manuscript which has already received an award under any other scheme of t he Government shall not eligible for consideration.

8. If there are more than one author of a book/treatise/manuscript, the award will be equally divided among them.

9. No correspondence shall be entertained regarding selection of a book/treatise/manuscript for award.

10. Award shall be given at a function or at any other appropriate occasion, information of which shall be given to the Award Winners by the Ministry of External Affairs.

11. Award winners shall be eligible for second class railway fare or bus fare, as the case may be from the nearest railway station to the venue of the award ceremony and back.

12. Ministry of External Affairs shall have exclusive right to select the recipients of the awards and as regards its selection procedure.

13. An entry sent earlier shall not be considered again if it is sent for consideration in subsequent years.

14. The decision of the Award Committee will be final and no request/appeal can be made to any authority against the decision of the Committee.

15. The Ministry shall have the right not to select any of the entries for the award in case the number of entries is insufficient on which the decision of the Ministry will be final.

16. Award amount will be given only after the book is published.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of UTs, all Ministries/Departments of the Government of India, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Office of the Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and Universities/Institutions.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJEEV MISRA (AD)
Jt. Secy.

Annexure-I

Indicative list of subjects pertaining to the Ministry of External Affairs

1. Cultural Diplomacy of India.
2. Middle-East Policy of India.
3. Relevance of Non-Aligned Movement.
4. Role of India in Uni-Polar World.
5. Concept of global village.
6. Religious Fundamentalism and Modern World.
7. India's Traditional Foreign Policy.
8. India's Neighbours.
9. South East Asia and the Pacific.
10. East Asia.
11. Eurasia.
12. The Gulf, West Asia and North Africa.
13. Africa.
14. Europe.
15. The Americas.
16. United Nation & International Organizations.
17. Multilateral Economic Relations.
18. External Publicity.

Annexure-II

Kautilya Award Scheme for writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to the Ministry of External Affairs.

Entry Form

1. Full Name of the author (s) ---------------------------------
2. Name of father/husband ---------------------------------
3. Present Postal Address ---------------------------------
4. Title of the book/treatise/manuscripts ---------------------------------
5. Year of publishing in respect of published book -----------------------
6. Is duly signed declaration Performa enclosed? --------------------------
7. Are five copies of the book/typed manuscript enclosed? ----------------
   (Submitted copies will be non-returnable)
8. Is the gist of the book/manuscript enclosed? ----------------------------
9. I/We certify that:-
   (i) I/We am/are Indian citizen(s).
   (ii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
   (iii) The copyright of any other person is not violated by entering my/our book in this scheme.

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of the Scheme for writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to Ministry of External Affairs.

Signature
Name
Address
Phone No.

Place:
Date:

Note:-

(1) This form dully filled up and along with five copies of the book may be sent on the address mentioned in the circular/advertisement.
(2) The gist of the book duly signed by the author may also be enclosed in five copies.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 24th June 2009

No. F. 9-5/2006-U.3 (A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an Institution 'deemed-to-be-university.'

2. And whereas, an application was received in February, 2006 from Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Jabalpur, Madhya Pradesh, an autonomous body of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, seeking declaration as an Institution 'deemed-to-be-university' (under *De Novo* Category) under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No.6-2/2006(CPP-I) dated the 20th April, 2009, recommended to the Central Government to declare Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Jabalpur, as an Institution 'deemed-to-be-university', under de novo category, provisionally with effect from 2005-2006, subject to annual review for five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing (PDPM-IIITDM), which is presently functioning from its temporary campus at the current location in IT Bhavan of the Government Engineering College, Jabalpur, Madhra Pradesh, shall be an Institution 'Deemed-to-be-University', under the *de novo* category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, with effect from the academic year 2005-2006, subject to the following conditions:

(i) The declaration as made above shall cover the academic courses already started by PDPM-IIITDM since July, 2005 and also the students who had been admitted to those courses from the academic year 2005-2006 onwards;

(ii) PDPM-IIITDM shall complete the phases of development of its own campus at the land allotted by the Government of Madhya Pradesh in Jabalpur at the earliest. It shall provide and maintain adequate infrastructure and other basic facilities & amenities at its new

campus as per the norms prescribed under the guidelines of the UGC pertaining to Deemed-to-be-Universities;

(iii) The functioning of the PDPM-IIITDM as well as its performance shall be reviewed annually by the UGC through an Expert Committee for five years. The declaration of PDPM-IITDM as an Institution 'Deemed-to-be-University' shall be confirmed after five years on the basis of the reports of the Expert Review Committee of the UGC and the recommendations of the Commission thereon;

(iv) PDPM-IIITDM shall revise & amend its Memorandum of Association (MoA) and Rules as per the 'model' constitution of MoA/Rules prescribed by the UGC in consultation with the UGC and in concurrence with this Ministry. For this purpose, it shall also incorporate the specific suggestions/recommendations made by the Expert Committee of the UGC in its respective Inspection Report for inclusion of provisions for a Registrar and a Finance Officer. The appointment, powers and functions of the Registrar, Finance Officer and Deans shall also be specifically defined under the MoA/Rules. The MoA/Rules shall also reflect the exact nomenclature of the Institution, viz., Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing.

(v) PDPM-IIITDM shall not offer / award any degree that is not specified by the UGC. It shall, for this purpose, ensure that the nomenclatures of the degrees, etc. to be awarded by it are specified by the UGC under Section 22 of the UGC Act, 1956. PDPM-IIITDM shall also, accordingly, take immediate steps in consultation with the UGC for inclusion of its M.Design (Master of Design) course under Section 22 of the UGC Act, 1956.

(vi) PDPM-IIIDM shall implement all the suggestions / recommendations made by the Expert Committee of the UGC in its respective Inspection Report submitted to the UGC) in regard to the aspects pertaining to the academic courses/programmes, reduction in the number of core courses and prescription of more electivies, course content, curriculum of the Institute & its revision, so that the deficiencies/shortcomings observed by the Committee are rectified immediately to bring about the recommended improvements.

(vii) PDPM-IIITDM shall ensure that standards of education maintained at the institute are higher than the minimum prescribed by the All India Council for Technical Education (AICTE).

5. The declaration as made in Para 4 above is subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009